न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0– 41/2016–17

योगानन्द सोरेन वगै0 बनाम् रैयान मौजा–बहेलियाचक

–: आदेश :–

31.03.2023

प्रस्तुत वाद न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है, जो अंचल–बोआरीजोर के मौजा बहेलियाचक नं0–08 में प्रधानी नियुक्ति हेतु उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा आर0 एम0 ए0 नं0–02/2008–09 (योगानन्द सोरेन बनाम जगदीश ईश्वर एवं अन्य) एवं आर0 एम0 ए0 नं0–25/2008–09 (योगानन्दर सोरेन बनाम रैयान मौजा बहेलियाचक) अन्तर्गत दिनांक–14.02.2013 को पारित आदेश द्वारा पी0ए0 केस नं0–35/2004–05 में दिनांक–20.11.2006 को पारित आदेश से धारा–6 के तहत जगदीश ईसर, पे0–कुलदीप ईसर की प्रधान नियुक्ति संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए प्रासंगिक मौजा खास में परिणत रहने के कारण धारा–5 के तहत नियमानुसार प्रधान नियुक्ति हेतु निदेशित किया गया है।

उक्त के आलोक में (1) योगानन्द सोरेन, (2) जगदीश ईशर, (3) सिताबी ईशर, (4) पीरनाथ ईशर द्वारा प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जिसे जाँचोंपरान्त अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–39/रा0 दिनांक–27.01.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक सं0–01 योगानन्द सोरेन की मृत्यु हो गई है।

दिनांक–08.12.2020 को सुनवाई के क्रम में आवेदक सं0–04 पीरनाथ ईशर का रद्द हेतु उम्मीदवारी आवेदन को स्वीकृत किया गया है।

इस प्रकार चार आवेदकों में से शेष दो आवेदक जगदीश ईशर एवं सिताबी ईशर के बीच चुनाव/सहमति प्राप्ति हेतु कार्यालय ज्ञापांक–243/सा0 दिनांक–06.02.2023 द्वारा दिनांक–22.02.2023 को ग्राम सभा की तिथि निर्धारित करते हुए 16 आना रैयतों को सूचित किया गया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर एवं अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में उक्त ग्राम सभा में उपस्थित रैयतों में से आवेदक सिताबी ईशर को छोड़कर सभी रैयतों द्वारा आवेदक जगदीश ईशर को प्रधान नियुक्ति हेतु अपना हाथ उठाकर समर्थन दिया, जिसकी पुष्टि अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–164/रा0 दिनांक–06.03.2023 द्वारा की गई है।

अतः आवेदक जगदीश ईशर, पे0–कुलदीप ईशर, साकिन–बहेलियाचक को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत मौजा बहेलियाचक नं0–08 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

(Sd/-) 31.03.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

(Sd/-) 31.03.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen Bande Kumar Singh Adv 17/04/23

Seen Binay Kr. Thakur Adv 17.4.23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.17 15:55:57 +05:30
Location: 192.168.8.116

F/Order.